



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-161

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 265335 दिनांक 06/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Jitendra Kumar Mahana S/o Girraj Prasad Mahana	श्रीमती बसन्ती पत्नी श्री धाबू जी	290	90.00 SQ. METER	JDA	KHUSAR VISTAR YOJANA Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की योजना खूसर विस्तार के भूखण्ड संख्या 290 क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर की लीजडीड श्रीमती बसन्ती पत्नी श्री धाबू जी के नाम से दिनांक 26.05.2020 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्रीमती बसन्ती पुत्री श्री धाबू जी द्वारा दिनांक 06.02.2020 को रजिस्टर्ड मु.आम श्री जयकिशन खत्री पुत्र श्री भगवान दास खत्री को नियुक्त किया गया है। तत्पश्चात श्री जयकिशन खत्री पुत्र श्री भगवान दास खत्री द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2020 के द्वारा श्री हंसराज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

जाट पुत्र श्री
लादूराम जाट को
कर दिया गया।
तत्पश्चात श्री
हंसराज जाट
द्वारा उक्त
भूखण्ड का बेचान
जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक
30.10.2023 के
द्वारा श्री जितेन्द्र
प्रसाद महाना पुत्र
श्री गिर्राज प्रसाद
महाना को कर
दिया गया।
आवेदक श्री
जितेन्द्र प्रसाद
महाना द्वारा
उक्त भूखण्ड का
नाम हस्तान्तरण
एवं लीज होल्ड से
फ्री होल्ड लीजडीड
जारी किये जाने
हेतु आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Jitendra Kumar Mahana S/o Girraj Prasad Mahana को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004